कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0
वि0क्रॉ0वि0ग0सिं0 ऊर्जा भवन
कावंली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष नं0 +91-135–2763674 (एक्स–117)
टेलीफैक्सः +91-135–2760250
CIN NO: U40109UR2001SGC025867

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (PROJECT)
RURAL ELECTRIFICATION DIVISION
UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD
VICTORIA CROSS VIJETA GABAR SINGH URJA BHAWAN
KANWALI ROAD, DEHRADUN-248001
Phone No. +91-135-276374 (Ext.-117)
Telefax: + 91-135-2760250
website:- www.upcl.org

e-mail:- ee.reddn@gmail.com

63 / आर0ई0डी0(दे0) / उपाकालि0 / 2017–18 / **Forest** दिनांक : 25 / 01 / 2018

विषयः– दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत जनपद–उत्तरकाशी, विकासखण्ड–मोरी के अन्तर्गत ग्राम–डामटी–थुनारा में 2.15 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु आर0ई0सी0 बैठक में अपर वन संरक्षक / नोडल अधिकारी (केन्द्रीय) द्वारा लगाई गई आपत्तियों का प्रत्यावेदन।

संदर्भः– अपर वनसंरक्षक / नोडल अधिकारी (केन्द्रीय) भारत सरकार की ई0डी0एस0 क्वेरी दिनांक 19.01.2018

अपर वनसंरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन विभाग, इन्दिरा नगर,
देहरादून

(FP/UK/VELEC/30487/2017)
ग्राम–डामटी–थुनारा

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विद्युतीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर अपर वन संरक्षक / नोडल अधिकारी (केन्द्रीय), भारत सरकार के स्तर से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण सूचना
1	State Government may provide original or attested signed copy of Part I, II & V of the proposal.	बिन्दु संख्या–1 में प्रकरण में Part I, मूलरूप से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है एवं पार्ट–II & V सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। (मूल रूप में संलग्न)
2	Component-9 that are proposed in the project has not been shown in component wise breakup at Para-B 2.4 Part-I online as mentioned in KML file.	बिन्दु संख्या–2 में Para-B 2.4 Part-I में ऑनलाइन ठीक कर अपलोड कर दिया गया है।
3	VLC meeting proceeding, under FRA, 2006 though provided but name of village mentioned is wrong in 3rd para of the proceedings.	बिन्दु संख्या–3 में ग्राम सभा मीटिंग से सम्बन्धित FRA, 2006 को मूलरूप से संलग्न कर अतिरिक्त सूचना के रूप में क्रम संख्या–3 प्रेषित किया जा रहा है। (मूल रूप में संलग्न)
4	Copy of administrative approval and muck disposal scheme not found uploaded in additional document in Part-I.	बिन्दु संख्या–4 से सम्बन्धित प्रारूप पुनः अतिरिक्त सूचना में क्रम संख्या–1, 2 अपलोड कर दिया गया है। (मूलरूप में संलग्न)
5	Density in Part-II is mentioned as 2-2, 0.8 & 0.1 but NPV calculation sheet provided for 0.2 density. State Government may review.	बिन्दु संख्या–5 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
6	At Para 6 of Part-II regarding 'Brief note on vulnerability of the forest area to erosion' comments are not clearly mentioned in Part-II.	बिन्दु संख्या–5 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
7	At para 8(i) not applicable mentioned against 'Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion' in Part-II which may be reviewed.	बिन्दु संख्या–5 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

क्रमशः................2

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण सूचना
8	It is mentioned that for proposal FP/UK/VELEC/30487/2017 & FP/UK/VELEC/30475/2017, CA area has been chosen at one place but CA area is 8.405 against 8.48 which is 0.075 ha. less. State Govt. may choose 0.075 ha. DFL at some other place for CA keeping in view that lesser area is not acceptable for CA.	बिन्दु संख्या–8 सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी उत्तराकाशी के आदेश सं0–8594, दिनांक 05.09.2017 में ग्राम–कुनारा लुदराला हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–गमरी (बंगांण) में खसरा संख्या 330 म0 में 8.405 हे0 भूमि आवंटित की गई थी। आवंटित भूमि ग्राम–कुनारा लुदराला के क्षतिपूरक के लिये दोगुनी भूमि से अधिक थी। इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता के पत्र सं0–450, दिनांक 24.10.2017 में जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया था कि ग्राम–कुनारा लुदराला हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण में 4.18 हे0 एवं डामटी–थुनारा हेतु 4.30 हे0 भूमि की आवश्यकता है जिसका योग 8.48 हे0 है। अतः कुल 8.48 हे0 उपरोक्त दोनो ग्रामों हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए एक ही स्थान पर ग्राम गमरी (बंगांण) में उपलब्ध कराई जाये जो कि पूर्व में आदेश सं0–8594, दिनांक 05.09.2017 में दोनों ग्रामों हेतु क्षतिपूरक के लिए कुल 8.48 हे0 में से 0.075 हे0 कम है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0–492, दिनांक 01.11.2017 द्वारा ग्राम–कुनारा लुदराला एवं डामटी थुनारा हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि एक ही स्थान ग्राम गमरी (बंगांण) में खसरा सं0 330 म0 में ही अतिरिक्त 0.075 हे0 अर्थात कुल 8.48 हे0 क्षतिपूरक भूमि ग्राम–कुनारा लुदराला व डामटी–थुनारा हेतु आदेश पारित किये गये। संलग्नक–1 अधिशासी अभियन्ता के पत्र सं0–450, दिनांक 24.10.2017। संलग्नक–2 जिलाधिकारी के आदेश सं0–8594, दिनांक 05.09.2017। संलग्नक–3 जिलाधिकारी के आदेश आदेश सं0–492, दिनांक 01.11.2017
9	Original copy of SIR of DFO may be submitted.	बिन्दु संख्या–9 से सम्बन्धित सूचना मूलरूप से संलग्न की गई है। (मूलरूप में संलग्न)
10	It is seen that justification for locating the same in forest land is provided and details of alternative explored has not been provided. State Government may provide original or attested copy of both (Justification for locating the same in forest land is provided and details of alternative explored).	बिन्दु संख्या–10 से सम्बन्धित सूचना मूलरूप में संलग्न की जा रही है एवं ऑनलाइन पोर्टल पर अतिरिक्त सूचना के रूप में क्रम संख्या– 4. अपलोड कर दी गई है। (मूलरूप में संलग्न)

उपरोक्त सूचना आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरूण कान्त)
अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)

........../आर0ई0डी0(दे0)/उपाकालि0/2017–18/ Forest तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट, उत्तरकाशी।

(अरूण कान्त)
अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम – जनपद–उत्तरकाशी के ब्लाक–मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण का कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम–डामटी थुनारा
तहसील–मोरी, जिला–उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के निर्माण हेतु (1.75 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.40 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वन पंचायत भूमि) निजी भूमि 0.10 हे0 अर्थात कुल 2.25 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डामटी थुनारा द्वारा दिनांक 28/12/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डामटी–थुनारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 2.15 हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
प्रधान
ग्राम पंचायत-थुनारा
वि0ख0-मोरी(उ0का0)

प्रारुप–49

<u>मलवा निस्तारण योजना सम्बन्धी प्रमाण–पत्र</u>

परियोजना का नाम – जनपद–उत्तरकाशी के ब्लाक–मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युतीकरण का कार्य।

प्रस्तावित परियोजना के अर्न्तगत आने वाले ग्राम–डामटी थुनारा के विद्युत लाइन का निर्माण कार्य से जो भी मलवा निकलेगा उसका उपयोग कार्यस्थल पर पोलों के गाढने में भरान/अन्य कार्य हेतु किया जाएगा। अलग से डिस्पोजल की आवश्यकता नहीं होगी।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
(Arun Kant)
Executive Engineer (Project)
Rural Electrification Division
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
V.C.V.Gabar Singh Bhawan
Kanwali Road, Dehradun

Village Wise/Habitation Proposed Works

State : UTTARAKHAND
District : Uttarkashi

Sl.No. (Vill.)	Name of Village (all villages as per census)	Census Code (2011)	Name of Habitation including main villages	Habitation Code	Works Type	Item	Line Length(Kms)	DTR(Nos)	Earthing(Kms)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
187	Arakot	040199	ARAKOT	040199-001	Conversion of existing LT Overhead lines to ABC Cable	3X35+1X35+1X16	1.29	0	0
188	Damti Thunara	040200	DHUNIYARA	040200-001	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	2.19	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.3	0	0
						2X35+1X16	0.67	0	0
			ESALI	040200-002	New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.5	0	0
						2X35+1X16	0.3	0	0
			JAKHDHAR/KADIYA	040200-003	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	2.5	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.2	0	0
						2X35+1X16	0.67	0	0
			KASEDI	040200-004	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	3.4	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.2	0	0
						2X35+1X16	0.8	0	0
			THUNARA	040200-005	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	0.4	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					Conversion of existing LT Overhead lines to ABC Cable	3X35+1X35+1X16	0.89	0	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.3	0	0

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उ०पा०का०लि० देहरादून

18

01/07/2015

Village Wise/Habitation Proposed Works

State : UTTARAKHAND
District : Uttarkashi

Sl.No. (Vill.)	Name of Village (all villages as per census)	Census Code (2011)	Name of Habitation including main villages	Habitation Code	Works Type	Item	Line Length(Kms)	DTR(Nos)	Earthing(Kms)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2X35+1X16	0.1	0	0
			THUNARA DAMTI	040200-006	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	1.3	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					Conversion of existing LT Overhead lines to ABC Cable	3X35+1X35+1X16	0.58	0	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.5	0	0
						2X35+1X16	0.3	0	0
			DODARALI	040200-007	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	1.51	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.3	0	0
						2X35+1X16	0.63	0	0
			KAULIYAAN	040200-008	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	3	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.4	0	0
						2X35+1X16	0.6	0	0
			SHISHAN	040200-009	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	3.49	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.4	0	0
						2X35+1X16	0.9	0	0
			BHINDA	040200-010	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	3.09	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उ०पा० का०लि० देहरादून

19 19

D(IV)

Village Wise/Habitation Proposed Works

State : UTTARAKHAND
District : Uttarkashi

Sl.No. (Vill.)	Name of Village (all villages as per census)	Census Code (2011)	Name of Habitation including main villages	Habitation Code	Works Type	Item	Line Length(Kms)	DTR(Nos)	Earthing(Kms)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.3	0	0
						2X35+1X16	0.8	0	0
			BAANGDEHLI	040200-011	New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.5	0	0
						2X35+1X16	0.3	0	0
			KHANWATA	040200-012	New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.5	0	0
						2X35+1X16	0.3	0	0
			TOK	040200-013	New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.5	0	0
						2X35+1X16	0.3	0	0
189	Kalich	040201	KALEECH	040201-001	Capacity Augmntatiom of DTR	From Existing to 63 KVA	0	1	0
					Conversion of existing LT Overhead lines to ABC Cable	3X35+1X35+1X16	1.31	0	0
			KOLIYA	040201-002	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	0.25	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					Conversion of existing LT Overhead lines to ABC Cable	3X35+1X35+1X16	0.12	0	0
			PAJU DHAR	040201-003	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	2.81	0	0
						25 KVA (3 Ph)	0	1	0
					Conversion of existing LT Overhead lines to ABC Cable	3X35+1X35+1X16	0.74	0	0
					New ABC Line	3X35+1X35+1X16	0.4	0	0
						2X35+1X16	1.2	0	0
			NAGA CHANI	040201-004	New 11 KV Line	11 KV Rabbit Conductor	3.31	0	0

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उ०पा०का०लि०, देहरादून

20

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०
वि०क्रॉ०वि०ग०सिं० ऊर्जा भवन
कांवली रोड, देहरादून–248001
दूरभाष नं0 +91-135–2763674 (एक्स–117)
टेलीफैक्सः +91-135–2760250
CIN NO: U40109UR2001SGC025867

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (PROJECT)
RURAL ELECTRIFICATION DIVISION
UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD
VICTORIA CROSS VIJETA GABAR SINGH URJA BHAWAN
KANWALI ROAD, DEHRADUN-248001
Phone No. +91-135-276374 (Ext.-117)
Telefax: + 91-135-2760250
website:- www.upcl.org

e-mail:- ee.reddn@gmail.com

450..../आर0ई0डी0(दे0)/उपाकालि0/2017–18/Forest दिनांक : 24/10/2017

विषयः– जनपद–उत्तरकाशी, विकासखण्ड–मोरी के अविद्युतीकृत ग्राम–कुनारा लुदराला एवं डामटी थुनारा का केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण में दो गुने अवनत हेतु भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद–उत्तरकाशी

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 414/आर0ई0डी0/उपाकालि0/2016–17/फोरेस्ट दिनांक 13.12.2016 के माध्यम से जनपद–उत्तरकाशी, विकासखण्ड–मोरी के अविद्युतीकृत ग्राम–कुनारा लुदराला में वृक्षारोपण हेतु दोगुने भूमि 4.18 हे0 एवं ग्राम–डामटी थुनारा में 4.30 हे0 भूमि की मांग हेतु अनुरोध किया गया था। आदेश संख्या 7112/ग्यार–3 (2016–17) दिनांक 11.07.2017 के माध्यम से ग्राम–कुनारा लुदराला एवं ग्राम–डामटी थुनारा दोनो ग्रामों में प्रस्तावित विद्युत लाइन हेतु दोगुने अवनत भूमि ग्राम–कुनारा में 8.405 हे0 आबंटित की गयी थी। उप वन संरक्षक, टौन्स, वन प्रभाग के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त उपरोक्त वर्णित भूमि को कार्यालय पत्र संख्या 296/12–1 दिनांक 01.08.2017 एवं 297/12–1 दिनांक 01.08.2017 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त बताकार खारिज कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय आदेश संख्या 8594/ग्यार–3 दिनांक 05.09.2017 के द्वारा ग्राम–कुनारा लुदराला में प्रस्तावित विद्युत लाइन हेतु दोगुने अवनत भूमि 8.405 हे0 ग्राम–गमरी (बंगांण) में एवं ग्राम–डामटी थुनारा हेतु दोगुने अवनत भूमि 3.175 हे0 ग्राम–डामटी थुनारा में ही उपलब्ध करायी गयी है।

यह भी अवगत कराना है कि ग्राम–कुनारा लुदराला हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि 4.18 हे0 एवं ग्राम–डामटी थुनारा हेतु 4.30 हे0 भूमि की आवश्यकता है जिनका योग 8.48 हे0 है एवं ग्राम–गमरी (बंगांण) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि 8.405 हे0 उपलब्ध करायी गयी है जिसमें कुल आवश्यक भूमि में से 0.075 हे0 भूमि कम है।

संज्ञान में आया है कि राजस्व विभाग के आधीन ग्राम–गमरी (बंगांण) में कुल क्षेत्रफल 10 हे0 से 12 हे0 भूमि उपलब्ध है। अतः आपसे यह भी अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आबंटित 8.405 हे0 के अतिरिक्त 0.075 हे0 भूमि ग्राम–गमरी (बंगांण) में ही उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे कि ग्राम–डामटी थुनारा (4.30 हे0) एवं ग्राम–कुनारा लुदराला (4.18 हे0) ग्रामों की क्षतिपूरक वृक्षारोण हेतु दोगुने अवनत भूमि कुल 8.48 हे0 एक ही स्थान पर ग्राम–गमरी (बंगांण) में उपलब्ध हो सके।

यह भी अनुरोध है कि आदेश संख्या 8594/ग्यार–3 दिनांक 05.09.2017 के द्वारा ग्राम–डामटी थुनारा हेतु दोगुने अवनत भूमि 3.175 हे0 आबंटित की गयी भूमि का आबंटन निरस्त कर दिया जाये।

भवदीय,

(अरूण कान्त)
अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)

............../आर0ई0डी0(दे0)/उपाकालि/2017–18 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपजिलाधिकारी, पुरोला, जनपद– उत्तरकाशी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला, जनपद– उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उपाकालि0, उत्तरकाशी।

(अरूण कान्त)
अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, (परियोजना) ग्रामीण विधुतीकरण खण्ड, उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 देहरादून के पत्र संख्या 450/आई0ई0डी0 (दे0)/उपाकालि0/2017-17/forest दिनांक 24.10.2017 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अन्तर्गत विधुत लाईन निर्माण हेतु आरक्षित वन क्षेत्र पुरोला वन प्रभाग की वनभूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये ग्राम कुनारा लुदराला में 4.18 हे0 तथा ग्राम डामटी थुनारा में 4.30 हे0 भूमि कुल 8.48 हे0 भूमि की आवश्यकता थी जिसके सापेक्ष महोदय के आदेश दिनांक 05.09.2017 के द्वारा ग्राम गमरी (बंगाण) उपरोक्त ग्रामों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.405 हे0 भूमि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें कुल आवश्यक भूमि में से 0.075 हे0 भूमि कम है।

राजस्व विभाग के आधीन ग्राम गमरी (बंगाण) में भूमि उपलब्ध है। उक्त पत्र के द्वारा आवंटित 8.405 हे0 भूमि के अतिरिक्त 0.075 हे0 भूमि ग्राम-गमरी (बंगाण) में खसरा सं0 330 म. में भूमि उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। ग्राम डामटी-थुनारा 4.30 हे0 भूमि ग्राम कुनारा लुदराला 4.18 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने अवनत भूमि कुल 8.48 हे0 भूमि एक ही स्थान पर ग्राम गमरी (बगाण) में उपलब्ध हो सकें । उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के आदेश संख्या 8594/ग्यारह-03 (2016-17) दिनांक 05.09.2017 के द्वारा ग्राम डामटी थुनारा हेतु दोगुने अवनत भूमि आवंटित की गयी है, को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः अनुरोध है, कि ग्राम कुनारा-लुदराला एवं डामटी थुनारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम खसरा सं0 330 म0 0.075 हे0 अतिरिक्त भूमि अर्थात कुल 8.48 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने तथा ग्राम डामटी थुनारा में जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 05.09.2017 द्वारा हस्तान्तरित 3.175 हे0 भूमि के हस्तान्तरण आदेश को स्थगित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

ह0/-
(डॉ आशीष चौहान)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

प्रमाणित
(Arun Kant)
Executive Engineer (Project)
Rural Electrification Division
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
V.C.V.Gabar Singh Bhawan
Kanwali Road, Dehradun

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 492/ग्यारह-03 (2016-17) दिनांक 01 नवम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।
2- तहसीलदार, मोरी ।
3- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।
4- प्रबन्ध निदेशक उपाकालि, वि0का0पि0गा0वि0 ऊर्जा भवन देहरादून।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
01/11/17

पत्र क्रमांक 492
रजिस्टर नं. 884 दि. 1/11/17

:: आदेश ::

प्रमुख सचिव (ऊर्जा) उत्तराखण्ड सरकार देहरादून के पत्रांक सं0 22/प्र.सचि/डी0डी0यू0जी0जे0वाई/2017 दिनांक 10 फरवरी, 2017 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी के 1- सालरा, 2- फुनारा-लुडराला 3- डामटी-शुनारा में अविद्युतीकृत ग्रामों का केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण में दोगुने अवमल भूमि उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/तहसीलदार पुरोला द्वारा अपने पत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2017 के द्वारा केन्द्र पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि निम्न प्रकार से उपलब्ध करायी गयी है।

क्र. सं.	गांव का नाम जहां विद्युतीकरण किया जाना है।	गांव का नाम जहां क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है।	प्रस्तावित भूमि की श्रेणी	खसरा नम्बर	रकबा
1-	सालरा	खरसाडी	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड	119	2.958 हे0
			--- तदैव---	2067 म	0.944 हे0
			--- तदैव---	2150	0.441 हे0
			--- तदैव---	2152	0.311 हे0
			--- तदैव---	2154	2.709 हे0
			--- तदैव---	2155	1.143 हे0
		योग		06	8.506 हे0
2-	फुनारा-लुदराला	गमरी (बंगाण)	--- तदैव---	330 म.	8.405 हे0
		योग-		01	8.405 हे0
~~3-~~	~~डामटी-शुनारा~~	~~डामटी-शुनारा~~	~~तदैव~~	~~12 म0~~	~~3.175 हे0~~
	योग-			01	~~3.175 हे0~~

शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तन्तरित किये जाने का प्राधिकार जिलाधिकारियों को प्रतिनिधायित किये गये है।

अतः तहसीलदार मोरी/उप जिलाधिकारी पुरोला से प्राप्त आख्यानुसार ग्राम 1- खरसाडी, तहसील मोरी में उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग-9 (3)ड में दर्ज खसरा नम्बरान 119 रकबा 2.958 हे0, 2067म रकबा 0.944 हे0, 2150 रकबा 0.441 हे0, 2152 रकबा 0.311 हे0, 2154 रकबा 2.709 हे0, 2155 रकबा 1.143 कुल रकबा 8.506 हे0, ग्राम गमरी (बंगाण) के खसरा नम्बर 330 म0 रकबा 8.405 हे0 तथा डामटी-शुनारा के खसरा नम्बर 12 म0 रकबा 3.175 हे0 भूमि, राजस्व अभिलेखों में भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग पुरोला को हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांक 04.09.2017

ह0/-

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

सत्यापित
(Arun Kant)
Executive Engineer (Project)
Rural Electrification Division
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
V.C.V. Gabar Singh Bhawan
Kanwali Road, Dehradun

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

संख्या 8596 / स्यार-3 (2016-17) दिनांक 5 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला।
2- तहसीलदार, मोरी।
3- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
~~4- प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि0का0वि0ग0सि0 ऊर्जा भवन देहरादून~~

अपर जिलाधिकारी

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

6. A proposal has been received by this office from **Executive Engineer (P), Rural Electrification Division, Dehradun** for diversion under FCA-1980) of **2.15** hect. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for electrification in **Village Damti Thunara** widening. The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated..16/12/2017

7. On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring **2.15** hect.

8. The requirement of forest land as proposed by the user agency in Co1.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

9. Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of : **NO**

10. Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.- **NO**

    iii. The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction : **YES**

    iv. It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached: **NO**

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal: **Recommanded**

(Signature)

Place:-.Purola.........

Date.....16/12/2017

Name..आर० पी० मिश्रा......

Designation..................

Office Seal..................

उप वन संरक्षक
टौंस वन प्रभाग,
पुरोला

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of(a) and (b) tick the optionwhich is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

प्रतिवेदन

FP/UK/VELEC/30487/2017 **EDS Date 19.01.2018**

Point No.-10

It is seen that Justification for loacating the same in forest land is provided and details of alternative explored has not been provided. State Government may provide original or attested copy of both (Justification for locating the same in forest land is provided and details of alternative explored).

प्रतिउत्तरः–

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अर्न्तगत ग्राम डामटी–थुनारा का विद्युतीकरण कार्य किया जाना स्वीकृत है। ग्राम–डामटी थुनारा, जनपद–उत्तरकाशी के विकास खण्ड–मोरी के उन अविद्युतिकृत ग्राम में सम्मिलित है जोकि विद्युत सुविधा से वंचित हैं। इसके लिए सर्वे अनुसार 11 के0वी0 विद्युत लाइन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत लाइन का सर्वे रूट इस प्रकार रखा गया है, कि विद्युत लाइन निर्माण में कम से कम वनभूमि आये एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। उपरोक्त के संदर्भ में यह भी अवगत कराना है कि केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना केन्द्र सरकार की बहुप्रतीक्षित व समयबद्ध योजना है जिसमें ससमय पर कार्यों का सम्पन्न होना अतिआवश्यक है। उपरोक्त ग्राम का विघुतीकरण अभी तक वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण अभी तक अविद्युतीकृत है, किन्तु भारत सरकार की केन्द्रीय पोषित दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है अतः वन विभाग द्वारा कार्य करने हेतु अनापत्ति दी जानी अत्यन्त आवश्यक है ताकि गांव का विद्युतीकरण किया जा सके एवं बजट का सद्प्रयोग किया जा सके।

प्रस्तावित रूट के विरूद्ध विद्युत लाइनें बिछाने हेतु अन्य स्थल का भी निरीक्षण किया गया किन्तु अन्य प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग में घना जंगल, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, कठोर चट्टाने, पानी के झरने होने के कारण तथा अधिक संख्या में पेडों के कटान के कारण प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग का चयन नही किया गया एवं अन्य प्रत्यावर्तित रूट/मार्ग भी पूर्णरूप से वन आच्छादित हैं। अतः प्रस्तावित रूट ही विद्युत लाइन बिछाने हेतु उपयुक्त पाया गया है।

विद्युत लाइन हेतु वन भूमि 2.15 हे0 की मांग की गई है लाइन के प्रस्तावित रूट में कोई मन्दिर, चर्च, कबरिस्तान आदि नहीं पडता है।

प्रस्तावित लाइन के संयुक्त निरीक्षण वन विभाग, राजस्व विभाग व उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन द्वारा किया जा चुका है।

उपरोक्त कार्य के करने से एक ओर विद्युत विहीन गांव/तोक में विद्युत कि सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना क्रान्ति की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी ।

अतः सार्वजनिक एवं जनहित के लिए 2.15 हे0 वन भूमि विद्युत लाइन बिछाने हेतु उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

अधिशासी अभियन्ता (परियोजना)
Executive Engineer (Project)
ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लि0
Kanwali Road, Dehradun
देहरादून